समाहरणालय, गया
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

पत्रांक 15 /पंचा०

दिनांक : 03/01/2025

ई–मेल–panchayatgaya@gmail.com

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गया।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
गया जिला।

विषय :– **ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पद पर नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– **निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 66/पं०रा०, दिनांक 01.01.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका–6(2) में निहित प्रावधान–खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र (अनुसूची–I) में पंचायती राज विभाग द्वारा विहित रीति से केवल ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे, के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	विषय	निर्धारित तिथि
1	ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की अवधि	07.01.2025 से 21.01.2025
2	आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी/मेधा–अंकों के आधार पर पैनल तैयार किये जाने की अवधि	22.01.2025 से 31.01.2025
3	नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि	01.02.2025 से 05.02.2025
4	अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट/प्रखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किये जाने की अवधि	06.02.2025 से 20.02.2025
5	आपत्तियों का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि	21.02.2025 से 28.02.2025
6	नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि	01.03.2025 से 07.03.2025

(i) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग द्वारा Website बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएँगे।

(ii) वैसे जिला जिनके द्वारा ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु Offline आवेदन लिए गये हैं, उन्हे निरस्त कर ऑनलाईन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

(iii) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों का उपोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार की जाए।

(iv) उपरोक्त निर्धारित समय–सीमा में अगर किसी स्तर पर विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करायेंगे। साथ ही वेबसाईट से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी/समन्वय हेतु श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क करेंगे।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गया।

जिला पदाधिकारी,
गया।

ज्ञापांक 15 **/पंचा0, दिनांक** 03-01-2025**।**

प्रतिलिपि :– निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्–सह–उप विकास आयुक्त, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गया।

जिला पदाधिकारी,
गया।

ज्ञापांक 15 **/पंचा०, दिनांक** 03 **/** 01 **/2025**

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधी उपरोक्त सूचना NIC, गया के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गया।

जिला पदाधिकारी,
गया।

संचिका संख्याः–4प/ग्रा०क०स्था०–80–02/2023/ ......66....... /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 01/01/2025

विषयः– **ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः– **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक 1977 दिनांक 21.08.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र में माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका–6(2) में निहित प्रावधान– खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र (अनुसूची–I) में पंचायती राज विभाग द्वारा विहित रीति से केवल ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे, के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है:–

क्र०सं०	विषय	निर्धारित तिथि
1	ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की अवधि	07.01.2025 से 21.01.2025
2	आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी/मेधा–अंकों के आधार पर पैनल तैयार किये जाने की अवधि	22.01.2025 से 31.01.2025
3	नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि	01.02.2025 से 05.02.2025
4	अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट/प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किये जाने की अवधि	06.02.2025 से 20.02.2025

5	आपत्तियों का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि	21.02.2025 से 28.02.2025
6	नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि	01.03.2025 से 07.03.2025

(i) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग द्वारा website बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

(ii) वैसे जिला जिनके द्वारा ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु offline आवेदन लिए गये है, उन्हें निरस्त कर ऑनलाईन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

(iii) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार की जाए।

(iv) उपरोक्त निर्धारित समय--सीमा में अगर किसी स्तर पर विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करायेंगे। साथ ही वेबसाईट से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी/समन्वय हेतु श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव, पंचायती राज विभाग से सम्पर्क करेंगे।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था०–80–02/2023/66/पं०रा०, दिनांक 01/01/2025

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 01/01/25
निदेशक

D:\Nawal 2024\Chandan Aso\Gram Kachahri\Letter.docx